1	2
उड़ीसा . .	84.1
पंजाब . .	589.0
राजस्थान . .	344.4
सिक्किम . .	*
तमिलनाडु . .	3879.1
त्रिपुरा . .	102.7
उत्तर प्रदेश . .	234.4
पश्चिम बंगाल . .	497.9
संघ शासित प्रदेश	
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह . .	9.2
चण्डीगढ़ . .	138.9
दादरा और नगर हवली .	4.0
दिल्ली . .	95.7
दमन और दीव .	2.2
लक्षद्वीप . .	8.3
पाण्डिचेरी . .	142.2
योग :	3695.1

टिप्पणी : 1. *इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा।

2 यह हो सकता है कि क्रमांकों के कारण आंकड़े योग से मेल न खायें।

क्रमांकों श्रम संबंधी योजनाएं

810. **चौधरी हरमोहन सिंह :**
श्री कनक सिंह मोहन सिंह मंगरोला :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रम संबंधी योजनाओं को मॉनीटर नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान किन-किन योजनाओं को मानीटर किया गया और किन-किन योजनाओं को मॉनीटर नहीं किया गया ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना आयोग ने रोजगार, प्रशिक्षण, औद्योगिक संबंध, श्रमिक शिक्षा, महिला और बाल श्रम, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य, श्रम कल्याण, श्रम सांख्यिकी, श्रम अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से संबंधित कई योजनाएं अनुमोदित की हैं। योजनाओं के कार्यान्वयन में प्रगति की नियमित रूप से मंत्रालय में प्रतिमाह मॉनिटरिंग की जाती है। इसके अतिरिक्त, वार्षिक योजना बैठकों और अर्द्ध वार्षिक समीक्षा बैठकों में भी योजना आयोग द्वारा इन योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की जाती है।

Interim relief for working journalist

811. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a news-items published in the Hindistan Times dated the 17th Novermber, 1994 captioned "AINEF seeks 25 per cent interim relief" for all working journalists from March, 1992;

(b) whether Government have so far issued any notification and also referred the issue of interim allowance to the newly constituted wage boards which may after considering it, send their reports to the Labour Ministry; and

(c) if so, when the orders were issued and whether the city compensatory allowance with a minimum of Rs. 500/-per month as demanded by the All India Newspaper Employment Federation (AINEF) also covered under above Government Notification and if not, the reasons therefor?